

फाइल सं. ए.12018/19/2019-लेप  
भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
(सीसीडी अनुभाग)

विषय -केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टू, तमिलनाडू में कनिष्ठ लेखा अधिकारी समूह 'ख' के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबंध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.जा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टू तमिलनाडू में कनिष्ठ लेखा अधिकारी समूह 'ख' के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियों/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव, श्री बैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 753-क, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते हैं। [baidyanath.prasad@nic.in](mailto:baidyanath.prasad@nic.in)



(बैद्यनाथ प्रसाद)

अवर सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष 23061510

नई दिल्ली

दिनांक 6-1-2020

[ भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ ]

भारत सरकार  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख ..... 2019

सा.का.नि..... राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु (अनुसचिवीय/ समूह 'ख' पद) भर्ती नियमावली, 1984, जहां तक यह कनिष्ठ लेखा अधिकारी से संबंधित है, का उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में कनिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कनिष्ठ लेखा अधिकारी (समूह-'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2019 होगा।  
(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों के साथ लगी अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हता- वह व्यक्ति-  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,  
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं।	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
कनिष्ठ लेखा अधिकारी	01* (2019)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सरकार सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अमंत्रालयी	वेतन मैट्रिक्स (35400-112400₹.) में स्तर-6	चयन पद	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं	पदोन्नत उम्मीदवारों के लिए दो वर्ष।	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति पर।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोग सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
<p>पदोन्नति:</p> <p>उक्त ग्रेड में छ: वर्षों की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स (29200-92300 ₹.) में स्तर—5 में लेखाकार और सचिवालयी प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान द्वारा संचालित रोकड़ और लेखा कार्य में प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया हो।</p> <p>टिप्पण 1: जहां उन कनिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति किए जाने के लिए विचार किया गया है जिन्होंने अपनी अर्हता अथवा पात्रता सेवा पूर्ण कर ली है, उनके वरिष्ठ अधिकारियों को भी उनके कनिष्ठ अधिकारियों के साथ जो ऐसी अर्हता और पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर चुके हैं पदोन्नत किए जाने पर विचार किया जाएगा वरतें उनकी अपेक्षित अर्हता अथवा पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हता सेवा अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष जो भी कम</p>	केंद्रीय कृषि रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान में समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-	लागू नहीं।



हो, से कम न हो तथा जिन्होंने ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ-साथ अगले उच्चतर संवर्ग में पदोन्नति हेतु अपनी परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

टिप्पण 2: पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हता सेवा आकलित करने के प्रयोजन हेतु, 1 जनवरी, 2006 (जिस तारीख से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित संशोधित वेतन ढांचा दिया गया है) से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर दी गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिए गए तत्संगत ग्रेड वेतन या वेतनमान में दी गई सेवा समझा जाएगा। (यदि भर्ती की पद्धतियों में से एक पद्धति प्रोन्नति नहीं है तो इसका लोप किया जाए)

प्रतिनियुक्ति:-

वे अधिकारी जो केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आशुलिपिक के पद पर पदस्थ हैं:

(क) (i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर किसी समान पद पर पदस्थ हैं;

अथवा

(ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स (35400-112400) में स्तर 6 में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात इसी ग्रेड में दी गई 6 वर्ष की सेवा।

(iii) मूल संवर्ग/ विभाग में वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रु.) में स्तर 4 में या इसके समकक्ष पद पर नियुक्ति के बाद इस ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा; और

(ख) जिसने सचिवालयी प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान में रोकड़ और लेखा या इसके समकक्ष पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लिया हो और रोकड़, लेखा और बजट कार्य में दो वर्ष का अनुभव लिया हो।

टिप्पण 1: फीडर श्रेणी वाले विभागीय अधिकारी जो सीधी पदोन्नति की पंक्ति में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें उसी संगठन अथवा किसी अन्य संगठन अथवा केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले धारित अन्य बाह्य संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि को सम्मिलित करते हुए, सामान्य तौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को छापन वर्ष से अधिक न हो।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन हेतु, 1 जनवरी, 2006 (जिस तारीख से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित संशोधित वेतन ढांचा दिया गया है) से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर दी गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिए गए

1. अपर निदेशक,  
सीएलटीआरआई, चेंगलपट्टूर  
- अध्यक्ष

2. उप निदेशक,  
सीएलटीआरआई, चेंगलपट्टूर  
- सदस्य

3. सहायक निदेशक,  
सीएलटीआरआई, चेंगलपट्टूर  
- सदस्य

4. प्रशासनिक अधिकारी,  
सीएलटीआरआई, चेंगलपट्टूर

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति  
समिति (स्थायीकरण हेतु)  
जिसमें निम्नलिखित  
सम्मिलित होंगे:-

1. उप महानिदेशक (कुष्ठ  
रोग), स्वास्थ्य सेवा  
महानिदेशालय - अध्यक्ष

2. निदेशक, केंद्रीय कुष्ठ रोग  
प्रशिक्षण और अनुसंधान  
संस्थान - सदस्य

3. उप-निदेशक/सहायक  
निदेशक, केंद्रीय कुष्ठ रोग

तत्संगत ग्रेड वेतन या वेतनमान में दी गई सेवा समझा जाएगा सिवाय वहां जहां एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों का विलय एक सामान्य ग्रेड वेतन के साथ एक ग्रेड में कर दिया गया है और जहां यह लाभ उन पदों के लिए दिया जाएगा जिनके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान - मद्रास

फा.सं.ए. 12018/19/2019-कुच्छ

(वैद्यानाथ प्रसाद)

अवर सचिव, भारत सरकार